राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(25)वित्त/आब/2016 जयपुर, दिनांक: 22 नवम्बर, 2016

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम, 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा दिनांक 22.07.2016 के अनुसार श्री गेमरा राम, जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पर्याप्त सेवाभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति हेतु एक पद सुरक्षित रखते हुए पद आस्थगित(Deferred) रखा गया था।

आस्थगित प्रकरणों हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा दिनांक 28.10.2016 के अनुसार श्री गेमरा राम को रिक्ति वर्ष 2016–17 में उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद (वेतन श्रृंखला 15600–39100)(पी.बी.–3)(ग्रेड–पे 6600) पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है। श्री गेमरा राम की वरिष्ठता श्री रतन लाल मीणा (पदोन्नति वर्ष 2016–17) के नाम के नीचे तथा श्री संजय सिंह राठौड (पदोन्नति वर्ष 2016–17) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री गेमरा राम इस विभाग के आदेश क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2014 पार्ट दिनांक 17.11.2016 के तहत जिला आबकारी अधिकारी, पाली के पद पर आगामी आदेशों तक कार्य करेगें तथा जिला आबकारी अधिकारी पाली का पद अस्थायी तौर पर राजस्थान आबकारी सेवा, (सामान्य शाखा) के वरिष्ठ वेतनमान में क्रमौन्नत किया जाता है।

आज्ञा से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया,
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)/कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
7. श्री गेमरा राम, जिला आबकारी अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\rajesh gurjar\DPC.doc